

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमति क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/  
सी. ओ./रायपुर/17/2002."



# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 140 ]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 23 जनवरी 2002 — वैशाख 14, शक 1924

विधि और विधायी कार्य विभाग  
मंत्रालय, दाक कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 जनवरी 2002

क्रमांक 573/21-अ/प्र/21-1-2002.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 21-1-2002 को छ.ग. के राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आई.एस उबोवेजा, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम  
(क्रमांक 5 सन् 2002)

छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताङ्गना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001  
(क्रमांक 5 सन् 2002)

विषय-सूची

खण्ड :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. रैगिंग का प्रतिषेध.
4. दण्ड.
5. संज्ञेय अपराध, गैर जगन्नतीय.
6. अपराधों का विचारण.
7. छात्र के निष्कासन के लिए नियोग्यता.

**छत्तीसगढ़ अधिनियम**  
(क्रमांक 5 सन् 2002)

**छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताङ्गना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001**  
(क्रमांक 5 सन् 2002)

राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में रैगिंग को रोकने के लिए तथा उनके क्रियाकलापों के नियमन एवं तदसम्बन्धी एवं तद्विभागीय विषयों के प्रावधान हेतु अधिनियम.

भारत के गणराज्य के बाबतवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित हो :-

- |    |   |                                   |
|----|---|-----------------------------------|
| 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्थाओं में प्रताङ्गना (रैगिंग) का प्रतिषेध अधिनियम, 2001 (क्रमांक 5 सन् 2002) है।  | संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ |
|    | (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में होगा।   |                                   |
|    | (3) यह ऐसी तारीख से प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे।  |                                   |
| 2. | इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -  | परिभाषाएं                         |
|    | (क) “रैगिंग” से अभिप्रेत है किसी छात्र को मजाक पूर्ण व्यवहार से या अन्य प्रकार से ऐसा कृत्य करने के लिए उत्तेजित, बाध्य या भजबू करना, जिससे उसके मानवीय मूल्यों का हनन या उसके व्यक्तित्व का अपमान या उपहास अभिदर्शित होता हो, या उसे अभिन्नास, सदोष अवरोध, सदोष परिरोध या क्षति, या उस पर आपराधिक बल के प्रयोग या सदोष अवरोध, सदोष परिरोध, क्षति या आपराधिक बल प्रयोग कर अभिन्नास देते हुए किसी विधि पूर्ण कार्य से प्रविरत करता हो। |                                   |
|    | (घ) “शैक्षणिक संस्था” में शासकीय, स्वशासी एवं अशासकीय शैक्षणिक संस्थाएं शामिल हैं।  |                                   |
| 3. | किसी शैक्षणिक संस्था का छात्र प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः न तो रैगिंग करेगा और न ही उसमें भाग लेगा।   | रैगिंग का प्रतिषेध                |
| 4. | यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के उपबन्धों का उल्लंघन करता है तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमानी से जो 5000 रुपये तक हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जा सकेगा।  | दण्ड                              |
| 5. | इस अधिनियम के संज्ञान किये जाने योग्य प्रत्येक अपराध संज्ञेय व गैर जमानतीय होगा।  | संज्ञेय अपराध, गैर जमानतीय        |
| 6. | (1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का विचारण प्रथम वर्ग के न्यायिक दण्डाधिकारी द्वारा किया जायेगा।   | अपराधों का विचारण                 |
|    | (2) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन अपराधों के अन्वेषण, जांच तथा विचारण में अपराध प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक-2 सन् 1974) के उपबन्ध लागू होंगे।  |                                   |

7. (1) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण या विचारण लंबित होने पर शिक्षण संस्था का प्रधान इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए अभियुक्त छात्र को निलंबित, तथा शैक्षणिक संस्था परिसर तथा इसके छात्रावासों में प्रवेश से वर्जित कर सकेगा।
- (2) किसी शैक्षणिक संस्था का कोई छात्र, जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, शैक्षणिक संस्था से निष्कासन का भागी होगा।
- (3) ऐसे छात्र जो निष्कासित किया गया हो या अन्य कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन सिद्ध दोष पाया गया हो, को किसी भी शैक्षणिक संस्था में तीन वर्ष की अवधि तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

छात्र के निष्कासन के लिए  
नियोग्यता।